

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/7712

दिनांक: 31/08/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 40 " नगरों में Green Lungs की अति आवश्यकता है। इस क्रम में शहरों के आस-पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु निम्न बजट मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।


बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	स्थान	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
4406-02-800 -02-01-16 लघु निर्माण कार्य	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, अलवर	मूंगस्का-अलवर	200.00
		उप वन संरक्षक, दौसा	नीलकंठ महादेव-दौसा	100.00
		उप वन संरक्षक, जयपुर (ग्रामीण)	कानोता बांध-जयपुर	100.00
मुख्य वन संरक्षक, सीकर	उप वन संरक्षक, चूरू	रतन नगर बीड़-चूरू	200.00	
		राजगढ़, चूरू	200.00	
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	मंगलवाड़, चित्तौड़गढ़	200.00	
		किला ब्लॉक-चित्तौड़गढ़	100.00	
		रिसाला-उदयपुर	200.00	
मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	गणेश टेकड़ी- राजसमन्द	200.00	
		नाथद्वारा- राजसमन्द	200.00	
		बांदरिया	100.00	
		मंगरा-राजसमन्द	100.00	
मुख्य वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक, बारां	खैरखेड़ी-बारां	100.00	
मुख्य वन संरक्षक, बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	श्यामपुरा- बांसवाड़ा	100.00	
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	उप वन संरक्षक, टोंक	कच्चा बांध- टोंक	100.00	
योग:-				1900.00

उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।




3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।


(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 7713-35 दिनांक: 31/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/सीकर/उदयपुर/वन्यजीव, उदयपुर/कोटा/बांसवाडा/अजमेर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, अलवर/दौसा/जयपुर(ग्रामीण)/चूरू/चित्तौड़गढ़/उदयपुर/वन्यजीव, राजसमन्द/बांरा/बांसवाडा/टोंक।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर